राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 926/2015/नागौर

मैं0 गंगाप्रसाद कम्पनी एजेन्सी,
मेड़तासिटी(नागौर) .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत, नागौर .....प्रत्यर्थी

अपील संख्या – 927/2015/नागौर

मै0 गंगाप्रसाद कम्पनी,
पेट्रोल पम्प, मेड़तासिटी(नागौर) .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत, नागौर .....प्रत्यर्थी

अपील संख्या – 928/2015/नागौर

मै0 लक्की मिनरल्स,
गोटन, तहसील–मेड़तासिटी(नागौर)

बनाम .....अपीलार्थी

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत, नागौर .....प्रत्यर्थी

अपील संख्या – 929/2015/नागौर

मै0 नथमल सुगन चन्द एण्ड कम्पनी,
मेड़तासिटी(नागौर) .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत, नागौर .....प्रत्यर्थी

अपील संख्या – 930/2015/नागौर

मै0 चौधरी ट्रेडिंग कम्पनी,
मेड़तासिटी(नागौर) .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत, नागौर .....प्रत्यर्थी

अपील संख्या – 931/2015/नागौर

मै0 घनश्याम राधेश्याम,
मेड़तासिटी(नागौर) .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत, नागौर .....प्रत्यर्थी

अपील संख्या – 932/2015/नागौर

मै0 गणेश दास जगदीश चन्द पाटनी,
मेड़तासिटी(नागौर) .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत, नागौर .....प्रत्यर्थी

अपील संख्या – 933/2015/नागौर

मै0 भोलेनाथ ट्रेडिंग कम्पनी,
मेड़तासिटी(नागौर) .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत, नागौर .....प्रत्यर्थी

31-7-2015

लगातार.....2

एकलपीठ
श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य

उपस्थितः–

श्री ओ.पी.माहेश्वरी,
चाटर्ड एकाउन्टेंट .....अपीलार्थी की ओर से
श्री जमील जई,
उप राजकीय अधिवक्ता ....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय

दिनांक 31.07.2015

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये आठ (8) अपीलें मय स्थगन अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेशों के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे "वेट अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त नागौर(जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेग) द्वारा अपीलार्थीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2012–13 के लिये पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेशों से सृजित मांग राशि के स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों अन्तर्गत वेट अधिनियम की धारा 38(4) अस्वीकार कियें हैं।

2. इन आठ (8) अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इन आठों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2012–13 के कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत वैट अधिनियम की धरा 23 के तहत पारित किये जाकर, अपीलार्थीगण द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री प्रपत्र ओनलाईन भरे जाने के आधार पर वेट अधिनियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त मांग की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये द्वितीय अपीलें, प्रकरणों में वसूली योग्य शेष राशि की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

31-7-2015

लगातार.....3

अपील संख्या	अपीलीय आदेश क्रमांक	अपीलीय आदेश दिनांक	क. नि. आदेश दिनांक	चाहा गया स्थगन
926/15	215/14–15/वेट/नागौर	10.3.2015	17.11.2014	12,650/–
927/15	216/14–15/वेट/नागौर	10.3.2015	17.11.2014	17,600/–
928/15	214/14–15/वेट/नागौर	10.3.2015	22.12.2014	37,900/–
929/15	210/14–15/वेट/नागौर	10.3.2015	06.01.2015	17,619/–
930/15	217/14–15/वेट/नागौर	10.3.2015	10.12.2014	1,05,500/–
931/15	209/14–15/वेट/नागौर	10.3.2015	10.12.2014	7,984/–
932/15	211/14–15/वेट/नागौर	10.3.2015	10.12.2014	1,35,785/–
933/15	218/14–15/वेट/नागौर	10.3.2015	22.12.2014	1,42,500/–

4. अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये द्वितीय अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में वसूल योग्य राशि की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

5. अपीलार्थी व्यवहारीगण के विद्वान अधिकृत अधिवक्ता ने अपीलीय आदेशों का विरोध करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण को वेट नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण किये जाने से पूर्व सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार नैसृगिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रकरणों में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारीगण के पक्ष में होते हुए भी अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण के स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 38(4) अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत अधिवक्ता ने अपीलार्थी व्यवहारीगण की अपीलें स्वीकार किये जाने तथा प्रकरणों में शेष वसूलनीय राशि के स्थगन हेतु निवेदन किया। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित एस.बी.सिविल रिवीजन नं. 2461/2015 एस.पी.एम.एल.इन्फ्रा लि0 बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य निर्णय दिनांक 25.02.2015 पेश किया।

6. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वेट नियम 19ए(2) के अनुसार व्यवहारियों को ओनलाईन रिटर्न जमा कराये जाने की स्थिति में रिटर्न की हार्डकोपी विभाग में प्रस्तुत किया जाना बाध्यकारी है। उक्त हार्डकॉपी के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट नियम 19ए के तहीत विलम्ब शुल्क का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अतः सुविधा संतुलन अपीलार्थीगण के पक्ष में नहीं बताते हुए अपीलार्थी व्यवहारीगण की अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

31-7-2015

लगातार.....4

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन करने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना—पत्र स्वीकार करते हुए, प्रकरणों में शेष वसूली योग्य मांग राशि क्रमशः रू0 12,650/—, 17,600/—, 37,900/—, 17,619/—, 1,05,500/—, 7,984/—, 1,35,785/—व 1,42,500/— की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलाथी व्यवहारीगण इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate securityy) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

निर्णय सुनाया गया।

21.7.2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर